

२०/१०/२०

प्रा. १० डी वारी एवं वकील वारी अनुपाखित । वारी एवं
 वकील वारी को न्यायालय दायित्व होने हेतु वार-२ आवण
 लगावारी गरि तदपरांत दायित्व नही डरे। नृदण्डन पश्चात पुनः
 अन्वय प्राप्त राते डरे आवण लगावारी गरि तदपश्चात वारी
 एवं वकील वारी अनुपाखित । अन्वय दारा वारी अन्वय दायित्व
 अन्वय पेशी नो शरी स्तः पर एवारेण निष्प वाता हो

प्रा. फौजल गुमा डी, मंगल को वरु दारा
 दायित्व दस्ता हो।

